DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd July, 2011

F. No. 82(265)/AD-III/Amendment PWD Act/DSW/09/5879-5901.—In continuation of earlier Notification No. F. 82(265)/AD-III.Amendment PWD Act/DSW/09/3187-3205, dated the:—31-5-2011 and in pursuance of the provisions of clause (p) of Section 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996), the Lt. Governor of NCT of Delhi is hereby pleased to include three more hospitals, district wise, for the purpose of issue of certificates of disability as mentioned in clause (i) of Section 2, of the said Act, the hospitals and institutions mentioned in Columan 3 of the Table given below, as 'medical authorities' for the type for disability mentioned in column 2 thereof, and further directs that the Medical Officers of the hospital/institution as mentioned in column 4 shall be authorized to sign the disability certificate on behalf of the medical authority.

Sr. No.	Types of disability	Hospital/Institution which is being specified as the "Medical Authority" for the purpose of the disability mentioned in column No. 2	Medical offiers working in the Hospital/ Institution mentioned in column No. 3 who would be competent to issue certificate of disability
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(i) Locomotor disability by way only of amputation, complete permanent paralysis of limbs. (ii) Blindness	**Distt. North East** Jag Pravesh Chandra Hospital, Shastri Park **Distt. East** Dr. Hedgewar Arogya Sansthan, Karkardooma **Distt. North West** Sanjay Gandhi Memorial Hospital, Mangolpuri	Single/specialist doctor of the concerned speciality.
2.	Multiple disabilities relating to Orthopedics, Medicine, Eye and ENT	**Distt. North East** Jag Pravesh Chandra Hospital, Shastri Park **Distt. East,** Dr. Hedgewar Arogya Sansthan, Karkardooma **Distt. North West** Sanjay Gandhi Memorial Hospital, Mangolpuri	Multi Member Board comprising specialist doctors pertaining to the concerned disabilities.

Note:— If a designated doctor of concerned specialist who has been authorized to issue disability certificate is on leave or is not present, a suitable alternative arrangement will be made by the Medical Superintendent of the concerned hospital, who will ensure the issuance of disability certificate within the time period specified in rule 4 of Delhi Persons with Disabilites (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 2011 as amended, time to time.

By Order and in the name of the
Lt. Governor of Delhi,

RAJESH SOMAAL, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 जुलाई, 2011

सं. फा. 82(265)/एडी-III/संशोधन अधिनियम पीडब्ल्यूडी/स.कल्या.वि./09/5879-5901.– दिनांक 31 मई, 2011 की अधिसूचना सं. फा. 82(265)/एडी-III/संशोधन अधिनियम पीडब्ल्यूडी/स.कल्या.वि./09/3187-3205 के क्रम में तथा नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर,अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के उप-खण्ड (त) के उपबन्धों के अनुसरण में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के उप-राज्यपाल द्वारा नि:शक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 2 के उपखण्ड (त) में जिलेवार तीन और अस्पतालों को जोड़ने की मंजूरी दी जाती है, निम्न तालिका के कॉलम 2 में यथावर्णित नि:शक्तता के प्रकार के लिए तालिका के कॉलम 3 में उल्लिखित अस्पताल/संस्थान को चिकित्सा प्राधिकरण के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं, और इसके आगे निदेश देते हैं कि कॉलम 4 में यथावर्णित अस्पताल/संस्थान के चिकित्सा अधिकारी प्राधिकरण की ओर से नि:शक्तता प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत होंगे।

क्र. संख्या	नि:शक्तता का प्रकार	कालम 2 में उल्लिखित नि:शक्तता के प्रयोजन के लिये चिकित्सा प्राधिकरण के रूप में विनिर्दिष्ट किए जा रहे अस्पताल/संस्थान	कालम 3 में वर्णित अस्पताल/संस्थान में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी, जो नि:शक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये सक्षम है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	केवल अंगच्छेद (1) अंगो के पूर्ण स्थाई पक्षाघात (2) अन्धता	**उत्तर पूर्व जिला** जग प्रवेश चन्द्र अस्पताल, शास्त्री पार्क **पूर्वी जिला** डॉ. हेडगेवार आरोग्य संस्थान, कड़कड़डूमा **उत्तर पश्चिम जिला,** संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, मंगोलपुरी	संबद्ध विशेषज्ञता का एक विशेषज्ञ डॉक्टर
2.	हड्डी रोग, आंख एवं नाक-कान-गला से संबंधित बहु-नि:शकतता	**उत्तर पूर्व जिला** जग प्रवेश चन्द्र अस्पताल, शास्त्री पार्क **पूर्वी जिला** डॉ. हेडगेवार आरोग्य संस्थान, कड़कड़डूमा, **उत्तर पश्चिम जिला,** संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, मंगोलपुरी	सबद्ध नि:शक्तता से संबंधित विशेषज्ञ डाक्टरों का बहु सदस्यीय बोर्ड

टिप्पण : यदि सम्बद्ध विशेषज्ञता का कोई पदनामित चिकित्सक छुट्टी पर है या उपस्थित नहीं है जिसे नि:शक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत किया गया है, तो सम्बंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, जो यथासंशोधित नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियमावली, 2011 के नियम 4 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नि:शक्तता प्रमाण-पत्र के जारी करने को सुनिश्चित करेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से और उनके नाम पर,

राजेश सोमाल, निदेशक